वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 79वीं बैठक दिनांक 26 अप्रेल 2011 को अपरान्ह बाद 2.00 विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षे0के0 पर आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1.	प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 मालाश्री लाल डिपार्टमेंट आफ इंगलिश दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।	सदस्य
3.	डा0 विकास गुप्ता निदेशक दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0, नई दिल्ली	सदस्य
4.	प्रो0 एम0 के0 घड़ालिया आचार्य (अर्थशास्त्र) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
5.	आर0 सी0 शर्मा निदेशक (क्षे0 के0) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,~~कोटा~~ जयपुर।	सदस्य

अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) राजस्थान सरकार की ओर से वित्त विभाग के उपसचिव श्री एल0 के0 गुप्ता बैठक के दौरान उपस्थित रहे। सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा नव नियुक्त सदस्यगणों एवं कुलसचिव का परिचय प्रबंध मंडल के अन्य सदस्यों से करवाया गया, इसके उपरांत आवश्यक गणापूर्ति के बाद कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं के अनुसार बैठक प्रारंभ करवाने के माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के कम में कार्यसूची में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

79/01 प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल द्वारा कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न 78 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

79/02 प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक के निर्णयों के कम में अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक के निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन को नोट किया गया।

79/03 आयोजना मंडल की 12वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी 2011 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

आयोजना मंडल के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

79/04 वित्त समिति 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं उक्त बैठक में पारित किये गये वर्ष 2011–12 की अवधि के बजट एवं 2010–11 के बजट पुर्नआवंटन को माननीय कुलपति महोदय द्वारा किये गये अनुमोदन की सूचना।

प्रबंध मंडल द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त होने वाले अन असाइंड ग्रांट के सम्बन्ध में वर्ष 2010–11 के वास्तविक अनुमान एवं पुर्नआवंटन अनुमान में अलग अलग राशि दर्शाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हुए सदस्यों द्वारा कहा गया कि 24 जनवरी को तैयार किये गये बजट विवरण में 2010–11 के पुर्नआवंटन में अन्य संस्था से प्राप्त होने वाली राशि को शून्य किया गया है,सदस्यो की उक्त जानकारी के कम में सदन को अवगत करवाया गया कि उक्त त्रुटि सहवन से हो गई है, सदस्य गणों द्वारा इसमें सुधार की आवश्यकता बताई गई। उक्त चर्चा के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा 8/4 के तहत किये गये वित्त समिति के कार्यवाही विवरण एवं बजट के अनुमोदन को नोट किया गया।

79/05 ई0पी0बी0एक्स के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो से प्राप्त रिपोर्ट में आरोपित अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरूद्व अभियोग दर्ज करवाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार विमर्श।
प्रकरण पर विचार विमर्श बाद यह निर्णय किया गया कि अभियोग दर्ज करवाने से पूर्व प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की जांच करवाई जानी चाहिये, उक्त जांच किसी जांच अधिकारी से करवाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

79/06 प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक के बिंदु संख्या 78/07 के कम में पुर्नविचार का प्रस्ताव।

श्री सुधीर खेर के अभ्यावेदन के कम में उनके द्वारा 1997 में प्रस्तुत विकल्प पत्र में परिर्वतन करने की अनुमति प्रबंध मंडल द्वारा प्रदान नहीं की गई।

79/07 प्राथमिक सूचना केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में जारी आदेश सूचनार्थ।

प्रस्ताव वित्त समिति की 45 वीं बैठक के माध्यम से आने की सूचना के कारण चर्चा नहीं की गई।

79/08 कनि0 अभियंता (सिविल)के पद को सहायक अभियंता (सिविल) के पद में अपग्रेड किये जाने तथा पदौन्नति प्रकिया निर्धारित करने बाबत् प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह कहा गया कि किसी भी पद पर भर्ती की तीन प्रकियाऐं निर्धारित है जिनमें कमशः सीधी भर्ती ,पदौन्नति द्वारा भर्ती एवं एवं अनुकंपात्मक नियुक्ति की प्रकिया सम्मिलित है , विश्वविद्यालय में कनि0 अभियंता के एक मात्र पद के अपग्रेडेशन की सहमति राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है,इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए पचास प्रतिशत पदौन्नति एवं पचास प्रतिशत सीधी भर्ती की प्रकिया अपनाई जावे एवं प्रथम बार सहायक अभियंता (सिविल) के पद को पदौन्नति से भरा जावे तथा भविष्य में जब भी सहायक अभियंता का पद रिक्त हो तो उक्त पद को सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरा जावे। उक्त पदौन्नति प्रकिया एवं अन्य कार्यवाही हेतु कार्यसूची विवरण में उल्लेखित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

79/09 विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों एवं पदों में विशेष पिछड़ा वर्ग को राजस्थान सरकार से प्राप्त आदेश के तहत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान करने का प्रस्ताव।

आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।

79/10(1) वित्त समिति की 45 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

वित्त समिति की 45 वीं बैठक दिनांक 26 अप्रेल 201 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

79/10(2) परीक्षा विभाग में छात्रों के पुराने परीक्षा आवेदन पत्रों को नष्ट करने की समय सीमा एवं मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने या उनकी प्रतिलिपी जारी करने बाबत्।

समिति की अनुशंसा के कम में परीक्षा आवेदन पत्रों को प्रस्तावानुसार नष्ट करने का अनुमोदन किया गया।

उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल द्वारा जानकारी चाही गई कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में क्या व्यवस्था है,इस सम्बन्ध में समिति के कार्यवाही विवरण में भी उल्लेख नहीं किया गया है,अतः निर्णय से पूर्व अन्य विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।

79/10(3) पुराने प्रवेश आवेदन पत्रमय दस्तावेज निस्तारण के सम्बन्ध में गठित समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रस्तावानुसार पुराने प्रवेश आवेदन पत्रों को नष्ट करने से पूर्व समस्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों को कंप्युटर पर स्केन कर सुरक्षित करने के बाद ही पुराने प्रवेश आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही करावें।

79/10(4) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पेंशन अंशदान में राशि, मूल वेतन के 9 प्रतिशत से बढाकर मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के बराबर करने के निर्णय के कम में पेंशन अंशदान एवं उपादान के अनुपात के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वित्त समिति की 45 वीं बैठक के निर्णय के अनुसार अनुमोदित किया गया।

तत्पश्चात आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल).